4155/15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 356330

कोषागार झाँसी E 356330

मुख्य कोषाधिकारी

भूमि मूल्यांकन सूची – पेज नम्बर 108 वी कोड 0331 के अनुसार भूमि दर 47,00,000/–रू0 प्रतिहैक्टेयर

स्टाम्प का योग	–	1,79,000/– रू0
दस्तावेज का प्रकार	–	बैनामा कृषि
बाजारू कीमत	–	25,53,000/– रू0

तहसीलदार झाँसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 356331

कोषागार, झाँसी

E 356331

मुख्य रोकड़िया मुख्य कोषाधिकारी

(2)

विक्रय मूल्य – 25,46,000/– रू0 जिसमें से 12,73,000/–रू0 जरिये ड्राफ्ट संख्या 002671 दिनाँक 23.06.215 ई0 व 12,73,000/–रू0 जरिये ड्राफ्ट संख्या 002672 दिनाँक 23.06.215 ई0 एच0डी0एफ0सी0 बैंक, लि0 के द्वारा पूर्व प्राप्त कर लिये है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 356332

कोषागार, झाँसी E 356332 मुख्य कोषागार मुख्य कोषाधिकारी

(3)

मौजा	–	मैरी
ब्लाक	–	बड़ागाँव
सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषिभूमि
मापन की इकाई	–	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.543 हैक्टेयर

सड़क की स्थिति– उक्त आराजी किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग / फोर लाईन व किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है व आबादी से 200 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 356333

कोषागार, झाँसी E 356333 मुख्य कोषाधिकारी

प्रथम पक्ष की संख्या — दो

द्वितीय पक्ष की संख्या — एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष — श्री रामसहाय पुत्र श्री काशीराम निवासीगण — 884/क, इन्द्रपुरम ज्योति टाकीज तक शिवपुरी, तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0) (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या XLW 1070747 से की गयी है) व श्री काशीराम पुत्र श्री गुविन्दी निवासी — ग्राम सिमरा, तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या XPN 1579879 से की गयी है)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 356334

कोषागार, झाँसी E 356334 मुख्य कोषाधिकारी

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष– अशोक इन्फ्रा प्रोपर्टीज प्रा0लि0 143 त्रिभुवन काम्पलेक्स ईश्वर नगर मथुरा रोड नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री राकेश यादव निवासी – 130/ए. सी0पी0मिशन कम्पाउण्ड तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान पेन कार्ड संख्या DFHPS 5779 M से की गयी है)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 356335

कोषागार, झाँसी
E 356335
मुख्य राजकोषिया मुख्य कोषाधिकारी

सम्पत्ति का विवरण- आराजी भूमिधरी वाके मौजा मैरी ब्लाक बड़ागांव परगना व जिला झाँसी की है जिसका खाता संख्या 00216 आराजी नम्बर 335 रकवा 0.146 है0 व आराजी नम्बर 337मि0 रकवा 0.397 है0 कुल 2 किता रकवा 0.543 है0 सम्पूर्ण भूमि को वय किया गया है वयशुदा आराजी मे विक्रेतागण का कोई भी अंश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

903372

शेष नही रहा है उक्त आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं उक्त आराजी में कोई पेड़ व कुओं आदि नहीं है आराजी मुवैया नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है उक्त आराजी लगान अदा करने वाली कृषकीय भूमि है जो कृषि के लिए वय की जा रही है। दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रयशुदा नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये है। जो बैनामा के अंश भाग है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। उक्त आराजी लगान अदा करने वाली कृषिकीय भूमि है जिसका लगान 5 रूपया सालाना है उक्त आराजी विक्रेतागण की पैत्रिक सम्पत्ति है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 771913

(8)

दस्तावेज हाजा मे उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0–5–462/11–2006–500 (92)/2005 दिनांक 23 फरवरी 2006 के बाद आंशिक शासन अधिसूचना के क्रम मे दिनांक 30.06.2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रेतागण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही हैं।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 771912

यह कि हम विक्रेतागण उपरोक्त आराजी उपरोक्त के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील है। जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है, न ही उक्त आराजी किसी जमानत, ऋण, डिग्री आदि मे मगफूल है चूँकि हम विक्रेतागण को निजि कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता है अतः हम विक्रेतागण अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त को विक्रय करते हैं कब्जा दखल मालिकाना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 390462

आराजी मुवैया पर क्रेता को वखूबी करा दिया है अधिकार क्रेता आराजी मुवैया खेती करे व अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे, कागजात मालिकान में नाम दर्ज कागजात करावे वय हिवा रहिन करे गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करे आज की तारीख से आराजी मुवैया से हम व हमारे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा भविष्य में कभी होगा काश किसी कानूनी नुक्श की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा आदि के देनदार व जिम्मेदार हम विक्रेतागण व हमारे वारिसान रहेगें । यदि विक्रेतागण या क्रेता द्वारा तहरीर शुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यो को छुपाया जाता है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 390461

या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकद्मों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी,माल,राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादो का दायित्व विक्रेतागण व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नही होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतागण व क्रेता का ही होगा। विक्रेतागण एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख मे मूल्यांकन को प्रभावित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000   Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   AF 390460

करने वाले किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नही है लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेतागण एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 390459

दिनांक : 23.06.2015

प्रारूपकर्ता : गौरव अग्रवाल वसीका नवीस, तहसील झाँसी

टाईपकर्ता : दीपक , तहसील झाँसी

गवाह (1) उमेश सिंह S/o श्री सियाराम यादव ग्रा. सिमरी झाँसी

गवाह (2) अनुरोध सिंह यादव S/o श्री रामसहाय यादव शिवपुरी (म.प्र.)

गौरव अग्रवाल दस्तावेज लेखक
तहसील व जिला झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या-2
दिनांक 31-3-20.16 तक विधिमान्य
ली गई फीस रु. ...... करार

नक्शा –नजरी

बिक्रेता का नाम श्री रामसहाय आदि

क्रेता का नाम श्री शैलेन्द्र यादव

मौजा ....

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समपत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

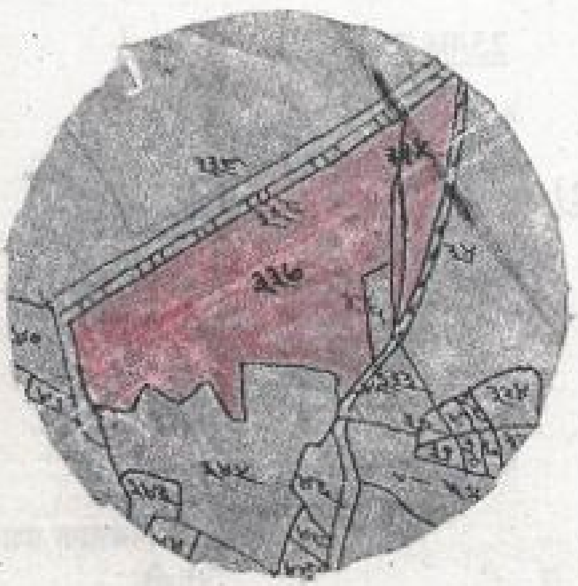

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

Basit Ali
Approved By J.D.A.
L. N. No.......

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक 9788 मूल्य 25850
नाम क्रेता 9787 15850
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील जिला
दिनांक 23-6-15
रोकड़िया

विक्रय पत्र

2,546,000.00 / **2,553,000.00** 10,000.00 20 10,020.00 700

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत

श्री अशोक इन्फ्रा प्रोपट्रीज द्वारा डाय.शैलेन्द्र यादव

पुत्र श्री राकेश यादव

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी 130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी

अस्थायी पता

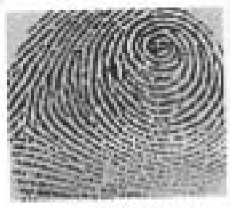

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/6/2015 समय 3:19PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम
झांसी
23/6/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री रामसहाय
पुत्र श्री काशीराम
पेशा नौकरी
निवासी 884/क इन्द्रपुरम ज्योति टाकीज तक शिवपुरी म प्र

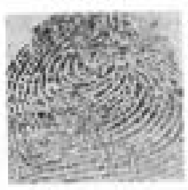

श्री काशीराम
पुत्र श्री गुचिन्दी
पेशा कृषि
निवासी ग्राम सिमरा तहसील व जिला झांसी

क्रेता

श्री अशोक इन्फ्रा प्रोपट्रीज द्वारा डाय.शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
पेशा व्यापार
निवासी 130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी

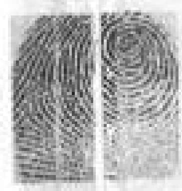

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक 9789 मूल्य 25950
नाम क्रेता 9787 के बाद
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील
दिनांक 23-6-15
रोकड़िया

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अमोल सिंह
पुत्र श्री सियाराम यादव
पेशा कृषि
निवासी ग्राम सिंमरा तहसील व जिला झांसी
व श्री अनुरोध सिह यादव
पुत्र श्री रामसहाय यादव
पेशा अन्य
निवासी शिवपुरी म प्र
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
निष्पादकों की पहचान यथाप्रलेख है

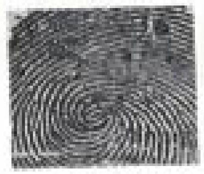
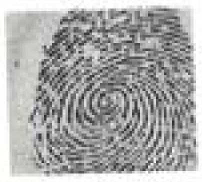

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम
झाँसी
23/6/2015

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक ९७९० मूल्य २५६८०
नाम क्रेता ९७८७ के ४४७
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील जिला
दिनांक 23-9-15
रोकड़िया

विक्रेता

Registration No.: 4155 Year : 2,015 Book No. : 1

0101 रामसहाय

काशीराम

884/क इन्द्रपुरम ज्योति टाकीज तक शिवपुरी म प्र

नौकरी

0102 काशीराम

गुविन्दी

ग्राम सिमरा तहसील व जिला झांसी

कृषि

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक ९७९१ मूल्य २६६८०
नाम क्रेता ९७४८७ ६ ५११५
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील जिला
दिनांक २३-६-१५
रोकड़िया

क्रेता

Registration No. : 4155 | Year : 2,015 | Book No. : 1

0201 अशोक इन्फ्रा प्रोपर्टीज द्वारा डाय.शैलेन्द्र यादव
राकेश यादव
130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी
व्यापार

आज दिनांक **23/06/2015** को

बही सं **1** जिल्द सं **6178**

पृष्ठ सं **121** से **148** पर कमांक **4155**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी

उप निबन्धक प्रथम

झाँसी

23/6/2015